निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
153/2012	27.8.2012	7.5.2018

वाकिव वगैरा बनाम तनवीर अहमद वगैरा

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र बाबत् दावा वापिस लिए जाने

उपस्थित :– श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 से 3 की ओर से
श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 13 की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एड0, प्रति0नं0 4/1 से 4/6की ओर से
श्री आलोक कुमार गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 10 की ओरसे
श्री भानु कुमार सिंघल,एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 8 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावे में वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 21.3.2018 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने मौजूदा वाद घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाद में वोनाफाईडी भूलवश वादीगण के कब्जे के खसरा नम्बरान एवं वादग्रस्त खसरा नम्बरान भूलवश दर्ज हो गए थे, जिसकी दुरूस्ती हेतु वादीगण ने आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त कर दिया गया। वादीगण ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की। इस निगरानी के निर्णय दिनांक 27.2.2018 में वादीगण को हिदायत दी गइ कि वो विचारण न्यायालय में मौजूदा वाद को विदड्रा कर नवीन वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। मौजूदा वाद में अभी पक्षकारों की साक्ष्य भी प्रारम्भ नहीं हुई है। पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद का निपटारा होना आवश्यक है। वास्तविक विवाद जिन नम्बरों पर है, उन्हीं नम्बरों बाबत् निर्णय होना आवश्यक है ताकि न्यायालय का वेशकीमती समय खराब न हो। अतः वादी को नवीन वाद प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ इस वाद को विदड्रा करने की इजाजत प्रदान की जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अंकित किया है कि वादीगण ने निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुकदमा सन् 2010 से चल रहा है। करीब 8 वर्ष तक वादीगण ने प्रतिवादीगण को अनावश्यक परेशान किया है एवं मुकदमे में काफी खर्चा प्रतिवादीगण का हुआ

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

है। वादीगण पर विशेष हर्जा 5000/–रू0 लगाया जाना आवश्यक है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण पर विशेष हर्जा 5000/– कायम कर प्रतिवादीगण को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र वादी खारिज फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 13 की ओर जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत हुआ है कि उक्त प्रकरण में मिन जबाबदार को दौराने दावा वादीगण के आवेदन पर पक्षकार बनाया गया एवं मिन जबाबदार पिछले करीब 5 वर्ष से लगातार उक्त प्रकरण को वादीगण के मिथ्या एवं तंग करने वाले कारणों की वजह से लड रही है जिसमें वादिया का वकील मेहनताना व अन्य खर्चा करीब 10000/–रू0 से भी ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा मानसिक वेदना भी झेलनी पडी है जबकि वादीगण को यह जानकारी शुरू से ही है कि मिन जबाबदार ने विधिपूर्वक नियमानुसार जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि ख0नं0 5004 में से 4114 वर्गफीट भूमि सुशीला देवी से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण का दावा मिन जबाबदार को मिथ्या तंग करने वाला दावा है इसीलिए वादीगण अब इसे विदड्रा कर रहे हैं। दावा विदड्रा करने में मिन जबाबदार को कोई आपत्ती नहीं है परन्तु सी0पी0सी0 की धारा 35 के प्रावधानों के तहत मिन जबाबदार को विशेष हर्जे के रूप में रूपए 10000/– दिलवाए जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश का कम पढा लिखा व्यक्ति है, कानूनी जानकारी का अभाव है इसलिए वादीगण ने जो विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया हुआ है उसमें वोनाफाइडी भूलवश वादीगण के कब्जे के खसरा नम्बर एवं विवादग्रस्त खसरा नम्बर दर्ज हो गए जिनकी दुरूस्ती हेतु वादीगण ने आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के तहत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे माननीय अदालत ने खारिज कर दिया परन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी के दौरान यह आदेश प्रदान किया गया है कि वादीगण विचारण न्यायालय के समझा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विचाराधीन दावे को विदड्रा कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं निर्देशों की पालना में वादीगण अपने विचाराधीन दावे को वापिस लेकर नवीन दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है । जहां तक प्रतिवादीगण को हर्जा देने की बात है, वादीगण मजदूरपेशा एवं गरीब व्यक्ति हैं, मात्र अपना गुजरवसर ही कर रहे हैं इसलिए वादीगण को वर्तमान वाद

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वापिस लेकर नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति बिना किसी शर्त के साथ प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रतिवादी नं0 1, 2, 3, 4/1 से 4/6, 8, 10, 13 के विद्धान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में कहा कि वादीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया गया था जिसे अब वे वापिस लेना चाह रहे हैं। वादीगण के दावे से प्रतिवादीगण को आर्थिक क्षति झेलनी पडी है व मानसिक व्यथा उठानी पडी है इसलिए वादीगण पर विशेष हर्जा लगाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। वादीगण ने विचाराधीन वाद वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया है । इस वाद की प्रोसीडिंग के दौरान वादीगण को यह अहसास हुआ है कि उन्होने अपने विचाराधीन वाद में कुछ मूलभूत गलती करदी है जिसकी दुरूस्ती के लिए वादीगण ने इस न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसे न्यायोचित कारणों से इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। चूंकि वादीगण ग्रामीण वर्ग से आते हैं एवं उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपने हित–अहित के बारे में समग्र रूप से विचार कर वाद प्रस्तुत करने में सक्षम हों। प्रस्तुत मामले में हमारा यह मानना है वादीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए वादीगण को नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति सहित प्रस्तुत वाद वापिस लेने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। जहां तक प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दिलाए जाने का प्रश्न है, हमारी राय में वादीगण आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वे दावे के प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दे सकें। इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण से विशेष हर्जा राशि दिलाया जाना उचित नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा दिनांक 21.3.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विचाराधीन वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)